

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक गोहद, जिला-भिण्ड म0प्र0

प्रकरण कमांक:-11 / 15 (मु0दी0)

संस्थित दिनांक:-17.12.14

फाईलिंग नम्बर 230303017302014

- 1 त्रिवेणीबाई आयु 60 साल पत्नि वृन्दावनलाल बाथम जाति माझी निवासी गोहद हॉल निवासी राजामंडी ग्वालियर

द्वारा आममुख्यार:-

वृन्दावनलाल बाथम पुत्र स्व0श्री देवीराम बाथम उम्र 63 साल जाति माझी निवासी राजामंडी ग्वालियर म0प्र0

---आवेदक

बनाम

1. मेम्बर सिंह आयु 60 साल
2. रघुराज सिंह आयु 50 साल
3. राजेन्द्र सिंह आयु 43 साल
4. रामनिवास आयु 40 साल पुत्रगण जसराम सिंह जाति गुर्जर ठाकुर निवासीगण ग्राम खरौआ तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
5. जीतू उर्फ जितेन्द्र सिंह पुत्र शिवराज सिंह गुर्जर आयु लगभग 30 साल
6. गजेन्द्र सिंह आयु 35 साल पुत्र शिवराज सिंह जाति गुर्जर ठाकुर निवासीगण ग्राम खरौआ तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

---अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री एस0एस0श्रीवास्तव एड0

अनावेदक - पूर्व से एकपक्षीय।

:- आ दे श -:-

(आज दिनांक 01/02/2017 को घोषित किया)

इस आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 09 नियम 04 सी0पी0सी0 का निराकरण किया जा रहा है।

2. संक्षेप में आवेदन इस प्रकार है कि आवेदिका ने अनावेदकगण के विरुद्ध आज्ञात्मक निषेधाज्ञा हेतु वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो कि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय

में प्र0क0146/14 ए0इ0दी पर विचाराधीन था एवं उक्त प्रकरण में पेशी दिनांक 16/12/14 नियत की गई थी। उक्त प्रकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीशवर्ग-2 के न्यायालय से व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय में अंतरित हुआ था तथा उक्त प्रकरण व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय में अंतरित होकर दिनांक 04/12/14 को प्राप्त हुआ था एवं उक्त न्यायालय में उक्त प्रकरण कमांक 78/14 पर दर्ज होकर पेशी दिनांक 16/12/14 में नियत किया गया था जिसकी सूचना आवेदिका एवं उसके अभिभाषक को नहीं दी गई थी उक्त प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 26/11/14 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी नियत दिनांक 16/12/14 को आवेदिका/वादिया के मुख्त्यारआम को बुखार आ गया था एवं वह चलने फिरने में असमर्थ हो गये थे इसलिये वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाये थे। वादिया/आवेदिका ग्वालियर में निवासरत है। आवेदिका/वादिया के अभिभाषक श्री एस0एस0श्रीवास्तव अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से पुकार नहीं सुन सकें थे इसलिये वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे तथा न्यायालय द्वारा प्र0क078ए/14 वादी की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया गया था। आवेदिका एवं उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति का उचित एवं पर्याप्त कारण है तथा परिस्थितियों को देखते हुये प्र0क078/14 इ0दी0त्रिवेणीबाई वि0 मेम्बर सिंह को पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायोचित है अतः व्यवहार वाद क078/14 इ0दी0त्रिवेणीबाई वि0 मेम्बर सिंह को पुनः नम्बर पर लिया जायें।

3. अनावेदकगण द्वारा उक्त आवेदन का खण्डन करते हुये उत्तर आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि आवेदिका/वादिया एवं उसके अभिभाषक को भली भांति प्रकरण के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय में अंतरित होने की पूर्ण जानकारी थी आवेदिका/वादिया के मुख्त्यारआम को बुखार नहीं आया था उक्त संबंध में कोई चिकित्सकीय प्रमाण भी आवेदिका/वादी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदिका/वादिया के अभिभाषक भी कही व्यस्त नहीं थे एवं बार बार पुकार लगाने पर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये थे आवेदिका/वादिया की अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण नहीं था अतः वादिया/आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जावें।

4. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये है।

1. क्या आवेदिका/वादिया व्यवहार वाद क078ए/14में दिनांक 16/12/14 को पर्याप्त कारणों से अनुपसंजात रहे थे?
2. क्या व्यवहार वाद क078ए/14 पुनः संस्थित किये जाने योग्य है?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न कमांक-1 एवं 2

5. साक्ष्य की पृनरावृत्ति को रोकने के लिये दोनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में वादी/आवेदक वृंदावनलाल बाथम आ0सा01 ने अपने शपथपत्र में यह अभिवचनित किया हैकि उसकी पत्नि त्रिवेणीबाई ने भूमि सर्वे क.2647/1 स्थित कस्बा गोहद एवं अन्य भूमि के संबंध में न्यायालीन कार्यवाही करने के लिये मुख्त्यारआम नियुक्त किया है तथा समस्त अधिकार प्रदान किये है एवं उसने त्रिवेणीबाई की ओर से भूमि सर्वे क.2647/1 के प्लॉट के संबंध में मुख्त्यारआम की हैसियत से व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय में आज्ञापक एवं सीई निषेधाज्ञा हे

व्यवहार वाद प्रस्तुत किया था जो कि दिनांक 04/12/14 को व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के न्यायालय में अंतरित हुआ था एवं प्र0क078/14 इ0दी0 पर विचाराधीन होकर दिनांक 16/12/14 को तर्क हेतु नियत था उक्त अंतरण की उसके अथवा उसके अभिभाषक को कोई सूचना नहीं दी गई थी वह वादिया के मुख्याराम की ओर से प्रकरण में पैरवी कर रहा है दिनांक 16/12/14 को वह बुखार से पीड़ित होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ था इसलिये वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था तथा अपनी बीमारी की सूचना अपने अभिभाषक को नहीं दे सका था वादिया त्रिवेणीबाई वृद्ध महिला है जो कि ग्वालियर में निवास करती है उसके अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण पुकार लगने पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे जिसके कारण व्यवहार वाद क078/14 उसकी अनुपस्थिति में अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया था उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण था । अतः व्यवहार वाद क078ए/14 पुनः नम्बर पर लिया जावे ।

7. प्रतिपरीक्षण के पद क04 में उक्त साक्षी द्वारा व्यक्त किया गया कि वह दिनांक 15/12/14 को बीमार हुआ था उसे बुखार आ गया था उसे दिनांक 15/12/14 को दोपहर पश्चात 3-4 बजे से बुखार आ गया था उसने मेडीकल से स्वयं दवा ले ली थी यह आवश्यक नहीं है कि बीमार होने पर डॉक्टर से ही दवाईयाँ ली जावें वह इतना अधिक बीमार नहीं था कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता । पद क05 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह दिनांक 15/12/14 एवं 16/12/14 को बुखार में रहा था तथा दिनांक 16/12/14 को शाम को उसने अपने अभिभाषक से चर्चा की थी तो उसे प्रकरण की जानकारी हुई थी ।

8. अनावेदकगण की ओर से अपने अभिवचनों के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ।

9. तर्क के दौरान आवेदक अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि व्यवहार वाद क078ए/14 में दिनांक 16/12/14 को आवेदक बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सका था । आवेदक की अनुपस्थिति पर्याप्त हेतुक पर आधारित थी ।

10. न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन से संबंधित मूल प्रकरण व्यवहार वाद क078ए/14 त्रिवेणीबाई वि0 मेम्बर सिंह आदि अभिलेखागार से मंगाया गया । मूल प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह उल्लेखनीय है कि उक्त आवेदन से संबंधित मूल प्रकरण दिनांक 16/12/14 को उभयपक्षों की अनुपस्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 09 नियम 3 के अंतर्गत खारिज किया गया था ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक वृन्दावनलाल बाथम आ0सा01 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि उसने अपनी पत्नी वादिया त्रिवेणीबाई के मुख्याराम की हैसियत से व्यवहार वाद क078/14 प्रस्तुत किया था एवं जो कि वादी की अनुपस्थिति में खारिज हो गया था एवं उसके द्वारा वादिया त्रिवेणीबाई के मुख्याराम की हैसियत से व्यवहार वाद क0 78/14 ए इ0दी0 को पुनःस्थित किये जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है । अनावेदकगण द्वारा उक्त तथ्य का कोई खण्डन नहीं किया गया है । आवेदक वृन्दावनलाल बाथम आ0सा01 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि दिनांक 16/12/14 को वह अस्वस्थ होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था एवं उसके अभिभाषक अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण पुकार उपरांत उपस्थित नहीं हो सकें थे । यद्यपि आवेदक वृन्दावनलाल बाथम

आ0सा01 द्वारा दिनांक 16/12/14 को अस्वस्थ होने के संबंध में कोई चिकित्सकीय प्रमाण प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि उसने स्वयं मेडीकल स्टोर से बुखार की दवा ले ली थी उसे मात्र बुखार था एवं वह चिकित्सक के पास इलाज हेतु नहीं गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य बुखार होने पर कई बार व्यक्ति चिकित्सक से सलाह लेना आवश्यक नहीं समझता है एवं स्वयं घरेलू इलाज करना अधिक उपयुक्त मानता है। अतः आवेदक वृन्दावनलाल बाथम आ0सा01 का यह कथन अत्यन्त स्वभाविक है कि सामान्य बुखार होने के कारण वह चिकित्सक के पास न गया हो एवं स्वयं ही घरेलू इलाज कर लिया हों।

12. इस प्रकार आवेदक वृन्दावनलाल बाथम आ0सा01 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह व्यवहार वाद क078ए/14 में दिनांक 16/12/14 को अस्वस्थ होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका था अनावेदकगण द्वारा उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मूल व्यवहार वाद क078ए/14 दिनांक 16/12/14 को खारिज किया गया था एवं आवेदक द्वारा हस्तगत आवेदन दिनांक 17/12/14 को प्रस्तुत कर दिया गया है इस प्रकार आवेदक द्वारा उक्त आवेदन विहित समयावधि के अंदर प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के कथनों के खण्डन में अनावेदकगण द्वारा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। आवेदक मूल व्यवहार वाद क078ए/14 में आगे की कार्यवाही करने का इच्छुक है एवं न्यायहित में प्रकरण का निराकरण गुण दोषों के आधार पर किया जाना उचित है। आवेदक वृन्दावनलाल बाथम आ0सा01 ने मूल व्यवहार वाद क078ए/14 में दिनांक 16/12/14 को अपनी अनुपस्थिति का कारण अस्वस्थ होना बताया है। उक्त तथ्यों के खण्डन में अनावेदकगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 16/12/14 को आवेदक पर्याप्त कारणों से व्यवहारवाद क078ए/14 में उपसंजात नहीं हो सके थे। आवेदक की अनुपसंजाति सदभाविक थी। ऐसी स्थिति में मूल व्यवहार वाद क. 78ए/14 को पुनर्संस्थित किया जाना न्यायोचित है।

13. फलतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 09 नियम 04 सी0पी0सी0 1000/-रूपये परिव्यय पर स्वीकार किया जाता है। आवेदक द्वारा परिव्यय अदा करने पर मूल व्यवहार वाद क078ए/14 त्रिवेणीबाई विरुद्ध मेम्बर सिंह आदि पुनर्संस्थित किया जावें है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 01/02/17

आदेश आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अति0व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0